वाणिज्य अ.ज.-799

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अ.अ.–II/2019–20/प्रे 4812 दि: 6-12-19

आदेश

विषय :– कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृत योजना।

कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की राशि बकाया होने के कारण उनके कनेक्शन काटे जाने के साथ–साथ ट्रांसफार्मर भी हटाये जा रहे है दूसरी ओर इस समय सिंचाई के लिए किसानों को बिजली की आवश्यकता हैं। अतः किसानों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से उनके बकाया बिलों के भुगतान के लिए निम्न निर्णय लिए गये है :–

1. नियमित कृषि उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च–2020 तक जमा कराई जाने पर कनेक्शन नहीं काटे जावे।
2. नियमित कृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत सम्बन्ध 01.04.2019 के पश्चात विच्छेदित कर दिया गया है वे भी इस सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते है एवं शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च–2020 तक जमा करा देवें।
3. जिन किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन 01.04.2019 पूर्व से कटे हुए है वे ऐमनेस्टी योजना (वाणिज्य अ.ज. 798) का लाभ उठा सकते हैं।

यह सुविधा 31.12.2019 तक प्रभावी रहेगी। सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से

06/12/19
(एन. एस. सहवाल)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d /XEN-II/Comml. Order hindi